



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229017
CG-DL-E-14082021-229017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3057]
No. 3057]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

का.आ. 3305(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2241 (अ), तारीख 25 जून, 2020, तथा का० आ० 114 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2021 भारत के राजपत्र संख्या 1981 तारीख 7 जुलाई 2020 तथा राजपत्र संख्या 95 तारीख 12 जनवरी 2021 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्दीया- दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार “ पारियोजना हेतु जिला लखीसराय में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 15, जनवरी, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकार ,बरौनी, बिहार (श्री भुवनेश्वर मिश्रा) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी |

अनुसूची					
जिला - लखीसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़हिया	ज्वास-136	114	00	09	95
		116	00	00	20
		117	00	06	84
		118	00	00	20
		121	00	04	94
		501	00	03	57
		503	00	03	21
		520	00	09	57
		547	00	06	69
		698	00	00	49
		704	00	04	44
		703	00	06	24
		1086	00	04	94
		1087	00	02	47
		1103	00	02	63
		1106	00	03	36
		1107	00	01	43
		1108	00	04	50

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

S.O. 3305(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2241(E) Dated 25th June, 2020 and S. O. No. 114(E) dated 11th January, 2021 published in the Gazette of the India Gazette No-1981 dated 7th July, 2020 and Gazette No. 95 dated 12th January, 2021 respectively, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of “**Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna & Muzaffarpur**” for the transportation of LPG products in Lakhisarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 15th January 2021.

And whereas the Competent Authority, Barauni, Bihar (Shri Bhubneshwar Mishra) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Lakhisarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barahiya	Juas-136	114	00	09	95
		116	00	00	20
		117	00	06	84
		118	00	00	20
		121	00	04	94
		501	00	03	57
		503	00	03	21
		520	00	09	57

Barahiya	Juas-136	547	00	06	69
		698	00	00	49
		704	00	04	44
		703	00	06	24
		1086	00	04	94
		1087	00	02	47
		1103	00	02	63
		1106	00	03	36
		1107	00	01	43
		1108	00	04	50

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.